



बाल रोग विभाग बाल अर्बुदविज्ञान प्रभाग अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान



**कैंसर से पीड़ित बच्चे के इलाज में हम आपके साथ हैं
आप घबराइये नहीं अपना मनोबल बना कर रखे
आशावादी रहें**

अपने डॉक्टर से बीमारी के बारे में समझो।

इलाज के खर्च का अनुमान डॉक्टर द्वारा बताया जाता है।

कैंसर के उपचार हेतु अस्पताल / सरकार से मदद मिलती है।

अस्पताल में आपके बच्चे की भर्ती एवं जांच भी मुफ्त कराई जा सकती है।

बाल रोग विभाग के सामाजिक कार्यकर्ता इस प्रक्रिया में आपकी सहायता करेंगे।

आपके रहने के लिए धर्मशाला उपलब्ध है



राजगडिया धर्मशाला
निकट एम्स अस्पताल



साई सदन व सुरेखा सदन
धर्मशाला निकट एम्स अस्पताल



सेंट जुडु
धर्मशाला (नोएडा)



होम अवे होम कोटला
मुबारकपुर (Cankids)

आपके लिए लाभदायक होगा

अन्य माँ बाप / रिश्तेदार, जो बच्चे का इलाज करा रहे हैं उनसे बीमारी के बारे में बातचीत करे।
कोशिश करे की एक ही रिश्तेदार बच्चे का पूरा इलाज कराये। ताकि इलाज के बारे में और जरूरी जांच
के बारे में पूरी जानकारी हो।

**ब्लड डोनेशन अपने डॉक्टर के दिशा निर्देश में ब्लड बैंक में अवश्य
करे, जो की आपके बच्चे के इलाज में काम आएगा एवं परिजनों को
भी ब्लड डोनेशन के लिए जागरूक करे**



सरकारी संस्था

द एम्स हॉस्पिटल पुअर फंड

प्रधान मंत्री राहत कोष

स्टेट एलाइंस एसिस्टेंस फंड (राज्य आरोग्य निधि)

एम्ससोनियन पुअर फंड

गैर सरकारी संस्था से भी मदद मिलती है

दवाइयाँ

मानसिक

सहायता समूह



St. Jude India ChildCare Centres

एम्स से मिलने वाली सुविधा

अस्पताल में आपको जेनेरिक मेडिसिन विभाग द्वारा अधिकतर दवाइयाँ मुफ्त प्राप्त होती है
रेलवे किराये में रियायत भी मिलती है

आपके सुविधा के लिए हमने

सहायता मोबाइल नंबर - 9810590067/ईमेल - c3sambhav@gmail.com/ सहायता समूह है।

डॉक्टर की सलाह अवश्य माने



बाल रोग विभाग बाल अर्बुदविज्ञान प्रभाग अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान



कैंसर के उपचार हेतु अस्पताल सरकार से सहायता प्राप्त करने हेतु जरूरी कागजात

- राशन कार्ड - बी. पी. एल या ए. पी. ल.
- राशन कार्ड में धारक का नाम, पता, और धारक के परिवार के सदस्यों का नाम व उम्र।
- गरीबी रेखा के कार्ड पर उपयुक्त अधिकारी के हस्ताक्षर।
- राशन कार्ड पर कार्ड सख्या होनी चाहिए।
- राशन कार्ड पर सदस्यों के अनुसार, आय प्रमाण की राशि प्रत्येक
- राज्य द्वारा निश्चित प्रति व्यक्ति आय के अनुसार आपको जानकारी दी जायेगी।
- आय प्रमाण पत्र पर आय प्रमाण संख्या, जारी करने की तारीख तथा ब्लाक अधिकारी/तहसील/एस. डी. एम./ एस. डी. ओ. का हस्ताक्षर होना चाहिए।
- यदि आप के पास में राशन कार्ड व आय प्रमाण न हो तो उस स्थिति में आप को अपने क्षेत्र के सांसद (Member of Parliament) का पत्र होना चाहिए, जिसमे यह निश्चित हो की वह आपको सरकारी कोष से सहायता प्रदान करेंगे।
- उपचार करने वाले डॉक्टर से सत्यापित रोगी का फोटो
- चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षर अनुमान प्रमाण पत्र
- परिवार की आय प्रमाणपत्र
- राशन कार्ड की कॉपी
- ओपीडी कार्ड की कॉपी
- माता-पिता की फोटो पहचान की कॉपी

सहायता योजना उपलब्ध

- द एम्स हॉस्पिटल पुअर फंड
- प्रधान मंत्री राहत कोष
- स्टेट एलाइंस एसिस्टेंस फंड (राज्य आरोग्य निधि)
- एम्ससोनियन पुअर फंड
- एनजीओ- केनकिड कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन कैंसर

बाल रोग विभाग के चिकित्सा सामाजिक कार्यक्रता इस प्रक्रिया में आपकी सहायता करेंगे।
इलाज के खर्च का अनुमान डॉक्टर द्वारा बताया जाता है

